कथित लव जिहाद और भूमि जिहाद पर सरकार की कार्रवाई

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में **जनसांख्यिकीय परिवर्तन** पर बढ़ती चिंताओं के बीच **लव जिहाद, भूमि जिहाद** और **ज़बरन धर्मांतरण** के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की गई, विशेष रूप से **पुरोला, धारचूला और नंदनगर** जैसे क्षेत्रों में।
- **उत्तराखंड की जनसंख्या**: लगभग 11.1 मिलियन, जिसमें **हिंदू धर्म** प्रमुख धर्म (82.97%) है, उसके बाद इस्लाम (13.95%) और ईसाई धर्म (0.37%) हैं, जैसा कि **2011 की जनगणना** तथा 2023 के अनुमानों द्वारा पता चलता है
  - जबकि राज्य में शहरी प्रवास और विकास हो रहा है, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को लेकर चिंताओं ने तनाव बढ़ा दिया है, विशेष रूप से धार्मिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
- **उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018**
  - इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को यह घोषित करना आवश्यक है कि उनका धर्म परिवर्तन ज़ोर जबरदस्ती, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से नहीं किया गया है
    - यह प्राधिकारियों को उन विवाहों को अमान्य घोषित करने का अधिकार भी देता है, जो केवल लड़की को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिये किये गए हों।
  - **कड़े प्रावधान**: यह अधिनियम गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण को संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध बनाता है तथा बल, लालच या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध मानता है।
  - **अधिक सज़ा**: अवैध धर्म परिवर्तन के लिये अपराधियों को न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है।
  - **उच्च जुर्माना**: 50,000 रुपए का अनिवार्य जुर्माना लगाया जाता है तथा संभावित रूप से अपराधी को पीड़ित को मुआवज़े के रूप में 5 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-s-crackdown-on-alleged-love-jihad-and-land-jihad